गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम

राज्य सलाहकार समिति

18.08.2020

कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18/08/2020 को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन के चतुर्थ तल स्थित डॉ पदमाकर त्रिपाठी (उप संचालक, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी) के कक्ष में गूगल मीट के माध्यम से डॉ भरत छपरवाल, पूर्व कुलपति, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय (डीएवीवी), एमेरिटस, प्रोफेसर पीडीयाट्रिक्स एमजी एम मेडिकल कॉलेज, इंदौर, की अध्यक्षता में आयोजित की गयी | बैठक में निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति के सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव, विधि विभाग, भोपाल (म.प्र) |
2. श्री मुकेश कुमार सिन्हा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम.पी.वी.एच.ए. (म.प्र) |
3. सुश्री आशा मिश्रा, महिला शिक्षा वैज्ञानिक, चेतना एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बी.जी.वी.एस. (म.प्र) |

पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी प्रकोष्ठ के निम्नलिखित सदस्य बैठक में सम्मिलित हुए:-

1. डॉ संतोष शुक्ल, अपर , पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र) |
2. डॉ पदमाकर त्रिपाठी , उप संचालक, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र) |
3. श्रीमती स्वाति बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र) |

अध्यक्ष महोदय द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य सलाहकार समिति को कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया | राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी को प्राप्त अपीलों आदि के सम्बन्ध में निम्नानुसार सदस्यों को अवगत कराया गया |

क.	अपील प्रकरण क.	जिला	अपीलार्थी के नाम	कार्यवाही
1	क.पीएनडीटी / एमपी / 2019 / 02	देवास	अपील डॉ. जी.पी. सोनी	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क. 267 दिनांक 06.11.2019, 63 दिनांक 18.02.2020 एवं 175 दिनांक 28.07.2020 के द्वारा जिला कलेक्टर देवास से अभिमत अप्राप्त है।
2	क. पीएनडीटी / एमपी / 2020 / 01	छतरपुर	अपील डॉ. रेखा अग्रवाल	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क. 139, 07.07.2020 एवं 179 दिनांक 28.07.2020 के द्वारा जिला कलेक्टर छतरपुर से अभिमत अप्राप्त है। अपील का निराकरण समयावधि में किया जाना था।

Dr. Padmakar Tripathi
Dy. Director

3	क्र. पीएनडीटी / एमपी / 2020 / 03	भोपाल	अपील– डॉ. अभय नातू	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्र. 149 दिनांक 10.07.2020 द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी भोपाल को पत्र लिखा गया था। अपील के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को भेजने हेतु लिखा गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम के अंतर्गत जिले एवं राज्य स्तर पर प्राप्त अपीलों का निराकरण 60 दिवसों में अनिवार्यत: किया जाना प्रावधानित है | जिले स्तर से तथ्यात्मक जानकारी एवं अभिमत के अभाव में अपीलों का नियमानुसार समयसीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर सदस्यों द्वारा खेद प्रकट किया गया | इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी को पत्र लिख अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अभिमत दिया |

समिति की बैठक नियमानुसार 60 दिवसों में आयोजित किये जाने का अभिमत देते हुए अग्रिम बैठक किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया |

Dr. Padmakar Tripathi
Dy. Director

अध्यक्ष
राज्य सलाहकार समिति
पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम